

डिक्री व मुकदमा इब्तदाई

(आर्डर 20 नियम 6-7 जाप्ता दिवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला भीलवाड़ा (राज0)
बईजलास श्रीमति शिल्पा सिंह, (आई0ए0एस0) उपखण्ड अधिकारी

उनवान

- 1-4 कैलाश, प्रभु, रामपाल, ओमप्रकाश आत्मज हरिकिशन चमार निवासी चमार बस्ती, बैरवा मोहल्ला, खामोर तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
- 5- न्याली पुत्री हरिकिशन चमार पत्नी रामकुंवार चमार निवासी चमारों की गली, बैरवा मोहल्ला, घरता, तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
- 6- सोहनी पुत्री हरिकिशन चमार पत्नी पन्नालाल चमार निवासी चमारों की गली, बैरवा मोहल्ला, घरता, तहसील बनेड़ा, जिला भीलवाड़ा
- 7- सीता पुत्री हरिकिशन चमार पत्नी रामजस चमार निवासी चमारों को मोहल्ला, बिलिया तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

- वादीगण

बनाम

- 1- श्री रुगनाथ आत्मज छीतर चमार निवासी खामोर तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
- 2- राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
- 3- उप पंजीयक शाहपुरा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
- 4- सहकारी भूमि विकास बैंक, शाखा शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
- 5- बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा सांगरिया जिला भीलवाड़ा

- प्रतिवादीगण

वाद पत्र बाबत स्थायी निषेधाज्ञा, एवं विभाजन आराजियात अन्तर्गत धारा
53-188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा नम्बर 76 सन् 2018 राजस्व वाद

यह मुकदमा अज वास्ते इनफिसल कतई रुबरु अदालत व हिजरी वकील वादी मिनजानिब मुदई वX मिनजानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है।
डिक्री दी जाती है कि :-

वाद वादीगण अदम हजारी अदम पैरवी खारिज किया जाता है।

बाबत मेरे दस्तखत व मोहर से आज तारीख 27 माह 07 सन् 2021 को जारी की गई।



(शिल्पा सिंह आई0ए0एस0)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर (भीलवाड़ा)
एवं सहायक कलेक्टर
शाहपुरा (भीलवाड़ा) राज.